

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥

:: दिनांक 23.02.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 23.02.2026 को महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

1. श्री पी.रामजी, सदस्य
अति. महानिदेशक पुलिस,
कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
3. श्री एल.आर. मीणा, सदस्य
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, सदस्य
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
5. श्री जगमोहन मित्रुका, सदस्य
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 51 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन 51 प्राप्त प्रकरणों का समिति स्तर से परीक्षण किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर इन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-4 (ख)(ग) के तहत निम्नांकित बंदियों को पात्र पाये जाने पर समिति द्वारा इन बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

(अ) सामान्य स्वीकृत प्रकरण

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	मुकेश कुमार पुत्र कैलाशचन्द्र	के.का.अजमेर	-
2.	दीपेश पुत्र जगदीशचन्द्र	के.का.बीकानेर	-

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large 'E' and a circle with a horizontal line through it.

3.	मुन्नी देवी उर्फ कोमल पत्नि बनवारी लाल	म.ब.सुधार गृह बीकानेर	-
4.	शकुन्तला देवी उर्फ शकु पत्नी जगदीश राम	म.ब.सुधार गृह बीकानेर	-
5.	बच्चन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह	के.का.भरतपुर	-
6.	मुकेश कुमार पुत्र बंशीलाल मीणा	के.का.कोटा	-
7.	सांवरमल पुत्र भुराराम	के.का.बीकानेर	-
8.	रमेश पुत्र रामचन्द्र	के.का.श्रीगंगानगर	-
9.	दक्षा पत्नी वीर सिंह	म.ब.सुधार गृह जोधपुर	-
10.	कालूराम पुत्र घमण्डीलाल	वि.के.का.श्यालावास	-
11.	कपूर पुत्र लक्खीसिंह	वि.के.का.श्यालावास	-
12.	रामहंस पुत्र गुमान सिंह	के.का.भरतपुर	-
13.	मनजीत सिंह उर्फ मंगल पुत्र रूप सिंह	के.का.श्रीगंगानगर	-
14.	छोटू पुत्र घीसा गुर्जर	के.का.अजमेर	-
15.	लाडू पुत्र मेवा	के.का.अजमेर	-
16.	लालचंद पुत्र जगन्नाथ	जि.का.टोंक	-
17.	रमेशचन्द पुत्र रतना	के.का.भरतपुर	-
18.	आजम खॉन पुत्र सिराज खॉन	के.का.भरतपुर	-

(ब) ऐसे बंदी जिनकी आयु 25 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक, अविवाहित होने एवं अन्य राज्य के है, वे राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-3 (क)(ज)(ड़) के तहत Ordinarily (साधारणतया) खुले शिविर में भेजे जाने के पात्र नहीं होंगे, का प्रावधान है। परन्तु इस प्रकार के प्रकरणों में पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में बंदियों द्वारा दायर एस.बी./ डी.बी. रिट पिटिशन संख्या 1180/2010 काशीराम निर्णय दिनांक 04.05.2010, 8587/2011 गीता देवी निर्णय दिनांक 20.10.2011, 19884/2012 सोनू उर्फ रघुवेन्द्र निर्णय दिनांक 16.01.2013, 2501/2013 राणा उर्फ बिट्टू उर्फ रवि निर्णय दिनांक 08.04.2013, 2883/2013 दिनांक 27.02.2013 एवं 2167/2024 हंसराज पुत्र कल्याण, घनश्याम पुत्र हंसराज निर्णय दिनांक 17.01.2025 में दिये गये आदेशों की पालना में इन दण्डित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाला हुआ है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में एक प्रकार के प्रकरण में एकरूपता बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा निम्नांकित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	पालाराम पुत्र टीकुराम	के.का.श्रीगंगानगर	-
2.	गणेश पुत्र श्यामसुन्दर	के.का.बीकानेर	-
3.	साकिर पुत्र असरू	के.का.अलवर	-

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature with a superscript '2' and several other marks.

4.	बालक एन उर्फ टी (नवराज उर्फ टिटू) पुत्र धर्मेन्द्र सिंह सोढी	के.का.बीकानेर	-
5.	सरवन पुत्र टीकुराम	के.का.श्रीगंगानगर	-

2. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण:-

(अ) प्रतिबंधित धारा 376/377/पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दण्डित होने से:-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(घ) के प्रावधानों के अंतर्गत साधारणतया व नियम 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया:-

क्र.सं.	बंदी नाम	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	अनिल कुमार पुत्र चेताराम	के.का.अजमेर	5(जी)/6 पोक्सो एक्ट आजीवन कठोर कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल तक) से दण्डित होने एवं दिनांक 12.03.2025 को जेल दण्ड से दण्डित होने के कारण।
2.	भगवतीनाथ उर्फ भरतनाथ पुत्र किशननाथ	के.का.जोधपुर	6-पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण।
3.	रणजीत सिंह पुत्र गुरदीपसिंह	के.का.बीकानेर	3/4 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
4.	महेन्द्र कुमार पुत्र हंसराज	के.का.जोधपुर	5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठारे कारावास से दण्डित होने के कारण
5.	वदन उर्फ मदन पुत्र रामलाल उर्फ रामा	जि.का.टाँक	प्रतिबंधित धारा 376डी आई.पी.सी में आजीवन कारावास (शेष स्वाभाविक उम्र के लिये) में दण्डित होने व दिनांक 14.10.2024 को जेल दण्ड से दण्डित किया एवं बंदी के 08 अन्य जे.सी. वारन्ट के प्रकरणों में वांछित होने के कारण।
6.	हेमराज पुत्र चम्पालाल	के.का.अलवर	3/4 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण।
7.	देवीलाल पुत्र लालाराम	के.का.अलवर	5एम/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
8.	अजीजार आलम उर्फ मोन्टू पुत्र बोशरूल हक	के.का.जोधपुर	3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

9.	प्रकाश डूडी पुत्र पांचूराम	के.का.जोधपुर	4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
10.	विश्वेन्द्र सिंह पुत्र जसवीर मीणा	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376(2)(एफ)सपठित धारा 5(एफ)/6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
11.	संजय पुत्र करन सिंह	के.का.भरतपुर	9/10 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
12.	राजेश उर्फ राजु पुत्र प्रभुलाल ताविड	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
13.	कालूराम पुत्र डूंगाराम भील	के.का.उदयपुर	धारा 9(एन)/10, 11(आई)/12 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

(ब) राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(ग)(घ)(च)(छ) के प्रावधानों के अंतर्गत जो अन्य प्रतिबंधित धारा, जेल दण्ड/फरारी/कदाचार(02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं), 02 से अधिक प्रकरणों में दण्डित, अन्य विचाराधीन प्रकरण (जमानत नहीं), आदि कारणों से प्रकरणों पर विचार कर साधारणतया व नियम 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से तथा एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया:-

क्र. सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	काशीराम पुत्र मुखराम	के.का.श्रीगंगानगर	बंदी दिनांक 04.01.2026 को खुला बंदी शिविर नरसिंहपुरा बिरानी से सांयकाल की हाजरी में उपस्थित नहीं होकर फरार हो गया था। दिनांक 06.01.2026 को गिरफ्तार कर पुनः जेल दाखिल करवाया गया। अतः बंदी का बंदी खुला शिविर आवंटन निरस्त कर मूल कारागृह में भिजवाया जावे।
2.	टीपू उर्फ टीपू सुल्तान उर्फ आबिद अली पुत्र अकील मोहम्मद	के.का.कोटा	बं.खु.शि कोटा में सजा भुगतने के दौरान बंदी को अन्य विचाराधीन प्रकरण में (प्र.सं. 469/12)में न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने पर पुनः दिनांक

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials with the number 4 written below it.

Handwritten mark or signature.







Handwritten mark or signature.

			15.01.2026 जेल दाखिल करवाया गया। अतः बंदी का बंदी खुला शिविर आवंटन निरस्त कर मूल कारागृह में भिजवाया जावे।
3.	जाकिर हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन	वि.के.का. श्यालावास	बंदी के वारण्ट में अंकित धारा 302 आई.पी.सी में मृत्युपर्यन्त कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण।
4.	नितेश ज्याणी पुत्र सुरेश कुमार	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 460/149 आई.पी.सी में आजीवन कारावास से दण्डित होने एवं दिनांक 07.03.2025 को जेल दण्ड से दण्डित तथा 03 अन्य प्रकरण में वांछित
5.	मुकेश पुत्र चतराराम	के.का.जोधपुर	01 विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 147,341,323,325,149 आई.पी.सी में न्यायिक अभिरक्षा में होने के कारण।
6.	रमेश गुर्जर पुत्र नारायणा गुर्जर	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 436 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण।
7.	इमरान हुसैन पुत्र मौहम्मद युसुफ	के.का.अलवर	बंदी के मूल प्रकरण के अतिरिक्त 03 जेसी वारण्ट एवं 03 प्रोडक्शन वारण्ट में विचाराधीन (जमानत नहीं) होने के कारण।
8.	दीपक जैन पुत्र रविन्द्र जैन	के.का.कोटा	8/20(B)(ii)(c) एनडीपीएस एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण
9.	जसविन्दर सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह	के.का.कोटा	8/15 connected with 25 एनडीपीएस एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण
10.	जितेन्द्र कुमार उर्फ जीतू पुत्र सतवीर	के.का.बीकानेर	8/20 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
11.	मनेष पुत्र शेरसिंह	के.का.बीकानेर	8/20 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
12.	जितेन्द्र पुत्र राजेन्द्र	के.का.अजमेर	8/15,8/29 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

13.	धन्नाराम पुत्र नाथूलाल	के.का.कोटा	8/15 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण
14.	दौलतसिंह पुत्र गौरीशंकर	के.का.बीकानेर	8/15, 8/25 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित

3. अग्रेषित प्रकरण का विवरण:-

क्र.सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	हाशिम उर्फ अब्दुल हासिफ पुत्र सिराज खान	के.का.भरतपुर	अधीक्षक, के.का.भरतपुर की रिपोर्ट में बंदी मानसिक रोग से ग्रसित है। अतः इस हेतु अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर के माध्यम से चिकित्सक का प्रमाण पत्र एवं बंदी के परिजनों द्वारा बंदी के भरण-पोषण व देखभाल का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

					
(अशोक राठी) अध्यक्ष महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर	(पी.रामजी) सदस्य अति. महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर	(विक्रम सिंह) सदस्य महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर	(एल.आर.मीणा) सदस्य शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर	(सत्यपाल जांगिड़) सदस्य मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	(जगमोहन मिश्रा) सदस्य उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥
:: दिनांक 23.02.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की
बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 23.02.2026 को महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

- | | |
|--|-------|
| 1. पी. रामजी,
अतिरिक्त महानिदेशक,
कारागार राजस्थान। | सदस्य |
| 2. श्री विक्रम सिंह,
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री एल.आर. मीणा,
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्री सत्यपाल जांगिड़,
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 5. श्री जगमोहन मित्रुका,
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदी जिन्हें खुला बंदी शिविर में रहते हुए इनके द्वारा कदाचार किये जाने के कारण इन्हें जेल दाखिल कर दिया गया अथवा खुला बंदी शिविर से फरारी उपरान्त पुलिस द्वारा पुनः गिरफ्तार कर जेल दाखिल करवाया गया, के प्राप्त 11 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन 11 प्रकरणों का समिति स्तर से परीक्षण किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर इन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

निम्नांकित दण्डित बंदियों के खुला बंदी शिविर में रहते हुए इनके द्वारा कदाचार किये जाने पर इन्हें कारागृह में जेल दाखिल किये जाने पर इनके प्रकरणों पर समिति द्वारा विचार किये जाने पर पाया गया कि बंदी के कदाचार किये जाने के संबंध में प्रभारी/अधीक्षक कारागृह द्वारा कदाचार के प्रकरण में इन्हें न तो जेल दण्ड से दण्डित किया गया है और न ही इनके विरूद्ध पुलिस थाने में एफ.आई.

आर. दर्ज करवायी गई है। अतः समिति द्वारा इन बंदियों के प्रकरण पर विचार कर गुणावगुण के आधार पर इन्हें कारागृह से खुला बंदी शिविर में निकाले जायें एवं संबंधित अधीक्षक कारागृह से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अन्य बंदी खुला शिविर में स्थानान्तरित करने की सर्वसम्मति से अनुशंसा की जाती है, जिसका विवरण निम्न से है:-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	खु.बं.शि. का नाम जहां पर रहते हुए कदाचार किया गया
1.	लीलाधर पुत्र नोरंगराम	के.का.श्रीगंगानगर	खुला बंदी शिविर, जैतसर।
2.	संदीप पुत्र वेदप्रकाश	के.का.श्रीगंगानगर	खुला बंदी शिविर, जैतसर।
3.	दीक्षांत कामरा पुत्र राजीव कामरा	के.का.श्रीगंगानगर	खुला बंदी शिविर, नरसिंहपुरा बिरानी, श्रीगंगानगर।

2. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

निम्नांकित दण्डित बंदियों के खुला बंदी शिविर से फरार होने पर इनके द्वारा राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर इनका खुला बंदी शिविर आंक्टन निरस्त कर इन्हें सजा भुगताने हेतु मूल कारागृह पर भिजवाये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुशंसा की जाती है, जिसका विवरण निम्न से है :-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	सतीश उर्फ सत्यनारायण पुत्र देवपाल	जि.का. सवाईमाधोपुर	बंदी दिनांक 11.09.2025 को खु.बं.शि.सांगानेर से फरार हो गया। जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 04.02.2026 को जेल दाखिल करवाये जाने एवं फरारी प्रकरण में एफआईआर नम्बर 0384/2025 दिनांक 11.09.2025 अन्तर्गत धारा 173 (बीएनएसएस) दर्ज होने के कारण।
2.	हीराराम पुत्र फगलूजी	जि.का. हनुमानगढ़	बंदी दिनांक 13.02.2026 को खु.बं.शि.श्री शिव गौसेवा सदन संगारिया, जिला-हनुमानगढ़ से फरार हो गया। जिसे गिरफ्तार कर दिनांक 17.02.2026 को जेल दाखिल करवाये जाने एवं फरारी प्रकरण में एफआईआर नम्बर 70/2026 दिनांक 13.02.2026 दर्ज होने के कारण।
3.	पंकज राणा पुत्र कालूराम	जि.का. बाड़मेर	बंदी दिनांक 09.02.2026 को खु.बं.शि.बाड़मेर से फरार हो गया। जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 11.02.2026 को जेल दाखिल करवाये जाने एवं फरारी प्रकरण में एफआईआर नं.64/2026 दिनांक 09.02.2026 अन्तर्गत धारा 262 (बीएनएसएस) दर्ज होने के कारण।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

खुला बंदी







3. अग्रेषित प्रकरण का विवरण :-

निम्नांकित दण्डित बंदियों के खुला बंदी शिविर में रहते हुए इनके द्वारा कदाचार किये जाने पर इन्हें कारागृह में जेल दाखिल किये जाने पर इनके प्रकरणों पर समिति द्वारा विचार किये जाने पर पाया गया कि बंदी के कदाचार किये जाने के संबंध में प्रभारी कारागृह द्वारा दिये गये जेल दण्ड को स्पष्ट नहीं किया गया है अथवा प्रेषित चिकित्सकीय रिपोर्ट में स्पष्टता नहीं होने पर समिति द्वारा निम्नांकित दण्डित बंदियों के प्रकरणों में निम्न से आक्षेपों की पूर्ति करवाकर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्न से है:-

क्र.सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	आक्षेप जिसकी पूर्ति की जानी है
1.	संतोष कुमार पुत्र नंदकिशोर	के.का. कोटा	इन बंदियों के खुला बंदी शिविर कोटा में निरूद्धीकरण के दौरान 19.11.2025 को उपमहानिरीक्षक कारागार, रेंज उदयपुर द्वारा औचक निरीक्षण किये जाने पर इनके अनुपस्थित पाये जाने इन्हें केन्द्रीय कारागृह, कोटा में जेल दाखिल करते दिनांक 20.11.2025 को 06 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेल दण्ड से दण्डित किया गया। दण्डित बंदियों को जेल दण्ड दिये जाने का मापदण्ड क्या है और किन परिस्थितियों में इन्हें जेल दण्ड दिये जाने का प्रावधान है, के संबंध में अधीक्षक, जेल कोटा से स्थिति स्पष्ट कराने हेतु।
2.	राजेन्द्र उर्फ टंटी पुत्र चौथीराम गुर्जर	के.का. कोटा	
3.	जनक सिंह पुत्र धर्म सिंह गुर्जर	के.का. कोटा	
4.	भंवरसिंह पुत्र नाहरसिंह	जि.का. हनुमानगढ़	अधीक्षक, जिला कारागृह, हनुमानगढ़ द्वारा बंदी के खुला बंदी शिविर अनार्थ एवं अपाहिज गौ सेवा समिति गोलूवाल, जिला हनुमानगढ़ में दिनांक 29.01.2026 को शराब का सेवन कर अभद्रता करने के संबंध में चिकित्साधिकारी की भेजी गई रिपोर्ट की स्पष्ट व्याख्या अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के मार्फत जेल के चिकित्साधिकारी से कराने हेतु।
5.	वागाराम पुत्र हेमाराम	जि.का. हनुमानगढ़	अधीक्षक, जिला कारागृह, हनुमानगढ़ द्वारा बंदी के खुला बंदी शिविर श्री गौ सेवा सदन संगरिया, जिला हनुमानगढ़ में दिनांक 06.02.2026 को शराब का सेवन कर अभद्रता करने के संबंध में चिकित्साधिकारी की भेजी

3

			गई रिपोर्ट की स्पष्ट व्याख्या अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के मार्फत जेल के चिकित्साधिकारी से कराने हेतु।
--	--	--	--

					
(अशोक राठौड़)	(पी रामजी)	(विक्रम सिंह)	(एल.आर.मीणा)	(सत्यपाल जांगिड़)	(जगमोहन मिश्र)
अध्यक्ष	अतिरिक्त	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य
महानिदेशक	महानिदेशक	महानिरीक्षक	शासन उप सचिव,	मुख्य प्ररिवीक्षा	उप विधि
कारागार	कारागार,	कारागार	गृह (ग्रुप-12)	अधिकारी	परामर्शी,
राजस्थान,	राजस्थान	राजस्थान,	विभाग, राजस्थान,	सामाजिक न्याय	महानिदेशालय
जयपुर	जयपुर	जयपुर	जयपुर	एवं अधिकारिता	कारागार राजस्थान
				विभाग, राजस्थान,	जयपुर
				जयपुर	

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।
:: दिनांक 23.02.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक
का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 23.02.2026 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री पी.रामजी, सदस्य
अति. महानिदेशक पुलिस,
कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
3. श्री एल.आर. मीणा, सदस्य
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, सदस्य
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
5. श्री जगमोहन मित्रुका, सदस्य
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में 02 बंदियों के प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
महावीर पुत्र बीरबल	के.का.बीकानेर	2249/2024	02.02.2026	13.02.2026
गोपीराम पुत्र चेताराम	के.का.श्रीगंगानगर	383/2026	16.02.2026	17.02.2026

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी महावीर पुत्र बीरबल, के.का.बीकानेर:-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू द्वारा प्रकरण संख्या 89/1993 अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी.में दिनांक 11.07.2022 को 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

(Handwritten signatures and initials)

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 14.02.2024 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी का प्रकरण प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में दण्डित होने के कारण अस्वीकृत किया गया था।

बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2249/2024 महावीर बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त रिट में आदेश दिनांक 02.02.2026 पारित किया है कि " In view of the above discussion, this court is of the considered opinion that the impugned recommendations suffer from non-application of mind and are contrary to the law laid down by this Court. Accordingly, the writ petition is allowed. The adverse recommendations dated 14.02.2024 passed by the State Level Prison Open Air Camp Advisory Committee, Jaipur, in so far as they relate to the petitioner, are here by quashed and set aside. The respondents are directed to pass necessary orders for shifting the petitioner to a suitable Open Air Camp in accordance with the Rajasthan Prisoners Open Air Camp Rules, 1972, within a period of one month from the date of receipt of a certified copy of this order. It is, however, made clear that the continuation of the petitioner in the Open Air Camp shall always remain subject to maintenance of good conduct and discipline, and the authorities shall be at liberty to take appropriate action in accordance with law in case of any violation."

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 23.02.2026 की स्थिति में 07 वर्ष 05 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी महावीर पुत्र बीरबल को बंदी द्वारा सदाचरण एवं अनुशासन बनाये रखे जाने की शर्त पर बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. दण्डित बंदी गोपीराम पुत्र चेताराम, केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर:-

बंदी को अपर सेशन न्यायाधीश रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2018 अंतर्गत धारा 302/149,377/149,397/149,323/149,342 आई.पी.सी. में दिनांक 25.07.2023 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 19.03.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी के प्रतिबंधित धारा 377 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने से बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।







तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 383/2026 गोपीराम बनाम राजस्थान व अन्य दायर

mbv l.h.s. k G m e

की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 16.02.2026 पारित किया है कि "In the result, the instant criminal writ petition (parole) is allowed. The impugned minutes of the meeting dated 19.03.2025 are set aside qua the present petitioner and the case of the petitioner for sending him to the Open Air Camp is remitted back to the Committee for re-consideration and decision, if the petitioner makes out any special circumstances for deviating from the general in eligibility criteria contemplated under Rule 3(d) of the Rules of 1972. The said exercise shall be done within a period of one month from the date of submission of a certified copy of this order. With the afore said observations and directions, the writ petition is disposed of accordingly."

Since the case of the present petitioner is similar to the case of co-convict Subhash, therefore, the present writ petition is also allowed in terms of the order passed in the case of Subhash (Supra) dated 28.10.2025. "

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी गोपीराम पुत्र चेताराम को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

					
(अशोक राठौड़)	(पी.रामजी)	(विक्रम सिंह)	(एल.आर.मीणा)	(सत्यपाल जांगिड़)	(जगमोहन मित्रुका)
अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य
महानिदेशक	अति.	महानिरीक्षक	शासन उप	मुख्य परिवीक्षा	उप विधि
कारागार,	महानिदेशक	कारागार,	सचिव, गृह	अधिकारी	परामर्शी,
राजस्थान	कारागार,	राजस्थान	(ग्रुप-12)	सामाजिक न्याय	महानिदेशालय
जयपुर	राजस्थान	जयपुर	विभाग,	एवं अधिकारिता	कारागार
	जयपुर		राजस्थान,	विभाग, राजस्थान,	राजस्थान,
			जयपुर	जयपुर	जयपुर

बंदी का नाम भूय निरुद्ध कारागार याचिका निम्न प्राप्ति
 मिति
 महाबल पुत्र चेताराम के का चेताराम 24/03/2025 02/04/2025 13/04/2026
 गोपीराम पुत्र चेताराम के का गोपीराम 30/03/2025 16/04/2025 17/02/2026

उक्त उक्त का विवरण
 दण्डित बंदी गोपीराम पुत्र चेताराम के का कारागार
 बंदी को उक्त विवरण एक खान न्यायालय
 09/04/2025 अंतर्गत मास 076 बंदी गोपीराम दिनांक 11/07/2022 को उक्त
 कारागार राजस्थान से दण्डित किया गया।